न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली कैम्प जालोर
पीठासीन अधिकारी : डॉ0 बजरंगसिंह चौहान, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 02/2018

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
1. खेता पुत्र धानीया 2. दीपा पुत्र धानीया 3. रामा पुत्र धानीया जातिगण मेघवाल निवासीगण खेडा बोरटा तहसील भीनमाल		1. तहसीलदार भीनमाल

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति :

श्री सतपाल पुरोहित, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट्स
सरकारी पैरोकार, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से

–:: निर्णय ::–

दिनांक : 11.10.18

------0------

अपीलाण्ट की ओर से यह अपील रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर उपखण्ड अधिकारी भीनमाल द्वारा प्रकरण संख्या 34/2016 में पारित आदेश दिनांक 15.12.2016 को अपास्त कराने का निवेदन किया। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि ग्राम खेड़ा बोरटा के खसरा नम्बर 237, 237/1134 की भूमि अपीलाण्ट की खातेदारी भूमि है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान सरकार के राजस्व विभाग के परिपत्र क्रमांक प. 3(2)राज/06/03 पार्ट/ दिनांक 10.08.2016 का हवाला देते हुए अपीलाण्ट की खातेदारी भूमि में से 5 मीटर भूमि को रास्ते के रूप में राजस्व रेकर्ड में दर्ज करने के आदेश पारित किए। रास्ता अभियान के तहत उन्ही भूमियों में से रास्ता दर्ज करने के आदेश थे, जिनमें मौके पर रास्ता चल रहा है, किन्तु राजस्व रेकर्ड में दर्ज नहीं है। अपीलाण्ट की भूमि में किसी प्रकार का रास्ता नहीं होने के बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मात्र पटवारी हल्का एवं तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर अपीलाण्ट को बिना कोई नोटिस जारी किए एवं बिना सुनवाई का अवसर दिए जैर अपील आदेश पारित किया है, जो विधि विरूद्ध है। इस सम्बन्ध में किसी भी पक्षकार द्वारा कोई प्रार्थना पत्र ही प्रस्तुत नहीं किया

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

तथा न ही विधिक प्रक्रिया की पालना की गई, मात्र रास्ता प्रदान करने की मनोस्थिति बनाकर रास्ता प्रदान कराने का आदेश पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में कहीं भी यह अंकित नहीं है कि उक्त रास्ता किन खातेदारान् की सुविधा हेतु इन्द्राज किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज करने से लेकर निस्तारण करने तक किसी भी रूप में अपीलाण्ट को साक्ष्य सुनवाई का कोई अवसर ही नहीं दिया गया तथा न ही अपीलाण्ट को जैर अपील निर्णय की जानकारी दी गई। सीधे कार्यवाही करते हुए अपीलाण्ट की खातेदारी भूमि में रास्ता दर्ज करने के आदेश पारित किए है, जो विधि विरूद्ध है। अतः अपील स्वीकार करावें एवं जैर अपील आदेश अपास्त करावें।

सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में कथन किया कि राज्य सरकार द्वारा खातेदारान् की खातेदारी भूमि में चल रहे रास्ते को राजस्व रेकर्ड में दर्ज कराने हेतु अभियान चलाया गया, उसके उन रास्तों का राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज किया गया था, जो मौके पर तो चल रहे थे, किन्तु राजस्व रेकर्ड में खातेदारान् की खातेदारी में ही दर्ज थे, उन रास्तों की खातेदारी भूमि में ही रखते हुए किस्म गै0मु0 रास्ता दर्ज किया गया है तथा रास्ते के रूप में नक्शा ट्रेस में इन्द्राज किया गया है। इससे खातेदारान् के हित किसी भी रूप में प्रभावित नहीं हुए, अपितु आमजन को रास्ते की सुविधा प्राप्त हुई है। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील निर्णय विधिक दृष्टिकोण से न्यायोचित है। अतः अपील खारिज़ की जावे।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। जैर अपील वादस्थ भूमि अपीलाण्ट की खातेदारी भूमि है, जिसमें मौके पर रास्ता सुचारू होने, किन्तु राजस्व रेकर्ड में दर्ज नहीं होने के कारण पटवारी हल्का द्वारा तहसीलदार भीनमाल के समक्ष रिपोर्ट प्रसतुत की, जिस पर तहसीलदार भीनमाल द्वारा प्रतिवेदन उपखण्ड अधिकारी भीनमाल को प्रेषित किया। उपखण्ड अधिकारी भीनमाल द्वारा प्रकरण का परीक्षण कर मौके पर चल रहे रास्ते को खातेदारान् की खातेदारी भूमि में ही रास्ते के रूप में दर्ज करने एवं नक्शा ट्रेस में इन्द्राज करने के आदेश पारित किए। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पटवारी हल्का एवं भू0अ0नि0 द्वारा जो मौका फर्द रिपोर्ट प्रस्तुत की है, वह मौका रिपोर्ट स्वतन्त्र साक्षियों की उपस्थिति में तैयार की गई है, जिसमें विवादित आराजी में मौके पर रास्ते के रूप में भूमि का उपयोग लिया जाना अंकित है। चूंकि राज्य सरकार द्वारा भी रास्ते के कारण कृषि संक्रियाओं में उत्पन्न होने वाली बाधाओं को दूर करने हेतु रास्ता अभियान चलाया गया, जिसका मंशा थी कि रास्ते के अभाव से कोई भी खातेदार अपनी कृषि संक्रियाओं से महरूम न हो। इसी को दृष्टिगत रखते हुए खातेदारी भूमियों में चल रहे रास्तों को राजस्व रेकर्ड में गै0मु0 रास्ते के रूप में खातेदारी की खातेदारी भूमि में ही दर्ज करने एवं नक्शा में रास्ते के रूप में तरमीम करने के आदेश पारित किए है, जिसके अनुक्रम में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यह सम्पूर्ण कार्यवाही की गई है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज़ की जाती है तथा उपखण्ड अधिकारी भीनमाल द्वारा प्रकरण संख्या 34/2016 में

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

पारित आदेश दिनांक 15.12.2016 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 11.10.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 बजरंगसिंह चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली